



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 42-2018 Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 10, 2018 (PHALGUNA 19, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 10th March, 2018

No. 16-HLA of 2018/4103/16.— The Haryana Criminal Law (Haryana Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 16- HLA of 2018

THE CRIMINAL LAW (HARYANA AMENDMENT)

BILL, 2018

A

Bill

further to amend the Indian Penal Code, 1860, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, in their application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Criminal Law (Haryana Amendment) Act, 2018.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Short title and commencement.

CHAPTER II

AMENDMENTS OF THE INDIAN PENAL CODE

2. In clause (c) of section 166-A of the Indian Penal Code (hereinafter in this Chapter referred to as the Penal Code), for the words, figures and letters “section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-E or section 509”, the words, figures and letters “section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA, section 376-E or section 509” shall be substituted.

Amendment of section 166-A of Central Act 45 of 1860.

- Amendment of section 228-A of Central Act 45 of 1860.
3. In sub-section (1) of section 228A of the Penal Code, for the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D or section 376-E”, the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA or section 376-E” shall be substituted.
- Amendment of section 354 of Central Act 45 of 1860.
4. In section 354 of the Penal Code, for the words and sign “shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but may extend upto five years, and shall also be liable to fine”, the words and sign “shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but may extend upto seven years, and shall also be liable to fine” shall be substituted.
- Amendment of section 354- D of Central Act 45 of 1860.
5. In sub-section (2) of section 354-D of the Penal Code, for the words and signs “and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine”, the words and signs “and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine” shall be substituted.
- Insertion of section 376-AA in Central Act 45 of 1860.
6. After section 376-A of the Penal Code, the following section shall be inserted, namely:-
 “376-AA. Punishment for rape on a woman upto twelve years of age.- Whoever commits rape on a women upto twelve years of age shall be punished with death or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years but which may extend to imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and shall also be liable to fine.”.
- Insertion of section 376-DA in Central Act 2 of 1860.
7. After section 376-D of the Penal Code, the following section shall be inserted, namely:-
 “376-DA. Punishment for gang rape on a woman upto twelve years of age.- Where a woman upto twelve years of age raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with death or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment of that person’s natural life, and with fine:
 Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:
 Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.”.

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

- Amendment of section 26 of Central Act 2 of 1974.
8. In the proviso to clause (a) of section 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter in this Chapter referred to as the Code of Criminal Procedure), for the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D or section 376-E of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA or section 376-E of the Indian Penal Code” shall be substituted.
- Amendment of section 154 of Central Act 2 of 1974.
9. In sub-section (1) of section 154 of the Code of Criminal Procedure,-
 (i) in the first proviso, for the words, figures and letters “offence under section 326-A, section 326-B, section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “offence under section 326-A, section 326-B, section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code” shall be substituted;

- (ii) in clause (a) of the second proviso, for the words, figures and letters “offence under section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “offence under section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code” shall be substituted.

- 10.** In the second proviso to sub-section (3) of section 161 of the Code of Criminal Procedure, for the words, figures and letters “offence under section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “offence under section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code” shall be substituted. Amendment of section 161 of Central Act 2 of 1974.
- 11.** In clause (a) of sub-section (5-A) of section 164 of the Code of Criminal Procedure, for the words, figures and letters “cases punishable under section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, sub-section (1) or sub-section (2) of section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “cases punishable under section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, sub-section (1) or sub-section (2) of section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code” shall be substituted. Amendment of section 164 of Central Act 2 of 1974.
- 12.** In sub-clause (h) of clause (i) of sub-section (2) of section 173 of the Code of Criminal Procedure, for the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D or section 376-E of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA, section 376-E of the Indian Penal Code” shall be substituted. Amendment of section 173 of Central Act 2 of 1974.
- 13.** In section 197 of the Code of Criminal Procedure, in the Explanation, for the words, figures and letters “under section 166-A, section 166-B, section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 370, section 375, section 376, section 376-A, section 376-C, section 376-D or section 509 of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “under section 166-A, section 166-B, section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 370, section 375, section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-C, section 376-D, section 376-DA or section 509 of the Indian Penal Code” shall be substituted. Amendment of section 197 of Central Act 2 of 1974.
- 14.** In the proviso to sub-section (1) of section 309 of the Code of Criminal Procedure, for the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C or section 376-D of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C or section 376-D, section 376-DA of the Indian Penal Code” shall be substituted. Amendment of section 309 of Central Act 2 of 1974.
- 15.** In sub-section (2) of section 327 of the Code of Criminal Procedure, for the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D or section 376-E of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “offence under section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA or section 376-E of the Indian Penal Code” shall be substituted. Amendment of section 327 of Central Act 2 of 1974.
- 16.** In section 357-B of the Code of Criminal Procedure, for the words, figures and letters “under section 326-A or section 376-D of the Indian Penal Code”, occurring twice, the words, figures and letters “under section 326-A, section 376-AA, section 376-D or section 376-DA of the Indian Penal Code” shall be substituted respectively. Amendment of section 357-B of Central Act 2 of 1974.

Amendment of section 357-C of Central Act 2 of 1974.

17. In section 357-C of the Code of Criminal Procedure, for the words, figures and letters “under section 326-A, section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D or section 376-E of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “under section 326-A, section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-DA or section 376-E of the Indian Penal Code” shall be substituted.

Amendment of First Schedule to Central Act 2 of 1974.

18. In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, under the heading “I-OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE”, -

(a) against serial number 354, under column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

“Imprisonment for not less than two years but which may extend to seven years and with fine”;

(b) against serial number 354-D, under column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

“Imprisonment upto three years and with fine for first conviction.
Imprisonment upto seven years and with fine for second or subsequent conviction”;

(c) after serial number 376-A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

“376-AA.	Person committing an offence of rape on a woman upto twelve years of age.	Death, or rigorous imprisonment of not less than fourteen years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life and with fine to be paid to the victim.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session”;
----------	---	---	------------	--------------	--------------------

- (d) after serial number 376-D and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6
“376-DA.	Gang rape on a woman upto twelve years of age.	Death, or rigorous imprisonment of not less than fourteen years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life and with fine to be paid to the victim.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.”.

CHAPTER IV

AMENDMENT OF THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

19. In section 42 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, for the words, figures and letters “under section 166-A, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 370, section 370-A, section 375, section 376, section 376-A, section 376-C, section 376-D, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code”, the words, figures and letters “under section 166-A, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 370, section 370-A, section 375, section 376, section 376-A, section 376-AA, section 376-C, section 376-D, section 376-DA, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code” shall be substituted.

Amendment of section 42 of Central Act 32 of 2012.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Commission of the offence of rape has been made liable to punishment of life-long imprisonment and even to death in extreme cases. However, the offences of stalking, assault with intent to outrage modesty of a women, rape and gang rape of a women below the age of 12 years requires further deterrence through provision of more stringent punishment. Therefore, some amendments have been proposed in respect of rape/gang rape of women up to 12 years for which punishment of death or rigorous imprisonment not less than 14 years which may extend to imprisonment for life i.e. for remainder of the person's natural life has been proposed. Further, the punishment for assault with intent to outrage the modesty has been proposed not less than 2 years and up to 7 years. Similarly the punishment for stalking has also been proposed in respect of second conviction which shall be not less than 3 years and upto 7 years. Hence this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 10th March, 2018.

R.K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या-16 एच.एल.ए.

दण्ड विधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018

भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम, 2012, हरियाणा राज्यार्थ, को
आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय I

प्रारम्भिक

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | (1) यह अधिनियम दण्ड विधि (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। | संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ। |
| | (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। | |

अध्याय II

भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन

- | | | |
|----|---|--|
| 2. | भारतीय दण्ड संहिता (जिसे, इसमें, इसके बाद, इस अध्याय में दण्ड संहिता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), की धारा 166क के खण्ड (ग) में, "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376ङ या धारा 509" शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे। | 1860 के केन्द्रीय
अधिनियम 45 की
धारा 166क का
संशोधन |
| 3. | दण्ड संहिता की धारा 228क की उप-धारा (1) में, "धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन अपराध" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 376ङ के अधीन अपराध" शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे। | 1860 के केन्द्रीय
अधिनियम 45 की
धारा 228क का
संशोधन |
| 4. | दण्ड संहिता की धारा 354 में, "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। | 1860 के केन्द्रीय
अधिनियम 45 की
धारा 354 का
संशोधन |
| 5. | दण्ड संहिता की धारा 354घ की उप-धारा (2) में, "और द्वितीय या पश्चात्पूर्वी दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "और द्वितीय या पश्चात्पूर्वी दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। | 1860 के केन्द्रीय
अधिनियम 45 की
धारा 354घ का
संशोधन |
| 6. | दण्ड संहिता की धारा 376क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
"376कक. बारह वर्ष की आयु तक की किसी महिला के साथ बलात्कार के लिए दण्ड.- जो कोई भी बारह वर्ष की आयु तक की किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तो मृत्यु या ऐसी कठोर कारावास की अवधि के लिए, जो चौदह वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के कारावास तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।" | 1860 के केन्द्रीय
अधिनियम 45 की
धारा 376कक का
रखा जाना। |

1860 के केन्द्रीय अधिनियम 45 की धारा 376घक का रखा जाना।

7. दण्ड संहिता की धारा 376घ के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“376घक. बारह वर्ष की आयु तक की किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दण्ड.— जहां बारह वर्ष की आयु तक की किसी महिला का बलात्कार किसी ग्रुप का गठन करते हुए या किसी सामूहिक आशय को बढ़ावा देने में कार्यरत किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उन प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार का अपराध किया गया समझा जाएगा और मृत्यु या ऐसी कठोर कारावास की अवधि, जो बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु आजीवनकाल तक की हो सकेगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति को प्राकृत जीवनकाल की कारावास होगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा :

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित तथा न्यायसंगत होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा।”।

अध्याय III

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 26 का संशोधन।

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, इस अध्याय में दण्ड प्रक्रिया संहिता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), की धारा 26 के खण्ड (क) के परन्तुक में, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन अपराध” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 376ङ के अधीन अपराध” शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 154 का संशोधन।

9. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उप-धारा (1) में,—

(i) प्रथम परन्तुक में, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन अपराध” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन अपराध” शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) द्वितीय परन्तुक के खण्ड (क) में, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन अपराध” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन अपराध” शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 161 का संशोधन।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उप-धारा (3) के द्वितीय परन्तुक में, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन अपराध” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन अपराध” शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 164 का संशोधन।

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उप-धारा (5क) के खण्ड (क) में, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दण्डनीय मामले” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2), धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दण्डनीय मामले” शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप-धारा (2) के खण्ड (प) के उप-खण्ड (ज) में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन अपराध" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376ङ के अधीन अपराध" शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
13. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में, व्याख्या में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166क, धारा 166ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 509 के अधीन" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166क, धारा 166ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 509 के अधीन" शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
14. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन अपराध" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, 376ग या धारा 376घ, धारा 376घक के अधीन अपराध" शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
15. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उप-धारा (2) में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन अपराध" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 376ङ के अधीन अपराध" शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
16. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन", दो बार आने वाले, शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 376कक, धारा 376घ या धारा 376घक के अधीन" क्रमशः शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
17. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ग में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 376ङ के अधीन" शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
18. दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, "I.भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध" शीर्ष के नीचे,—

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 173 का संशोधन।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 197 का संशोधन।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 309 का संशोधन।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 327 का संशोधन।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 357ख का संशोधन।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 357ग का संशोधन।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन।

- (क) क्रम संख्या 354 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

"कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना";

- (ख) क्रम संख्या 354-घ के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

"प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना।
द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए सात वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना";

(ग) क्रम संख्या 376—क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
"376कक.	बारह वर्ष तक की आयु की किसी महिला के साथ बलात्कार का अपराध करने वाला व्यक्ति।	मृत्यु या कठोर कारावास, जो चौदह वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक कारावास तथा पीड़िता को भुगतान किया जाने वाला जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सत्र न्यायालय'

(घ) क्रम संख्या 376—घ तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
"376घक.	बारह वर्ष तक की आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार।	मृत्यु या कठोर कारावास, जो चौदह वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक कारावास तथा पीड़िता को भुगतान किया जाने वाला जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सत्र न्यायालय।"

अध्याय IV

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

अधिनियम, 2012 का संशोधन

2012 के केन्द्रीय अधिनियम 32 की धारा 42 का संशोधन

19. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 में, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कक, 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन" शब्द, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

बलात्कार जैसे आपराधिक कृत्य के लिए आजीवन कारावास और चरम मामलों में मृत्यु दण्ड तक का प्रावधान किया गया है। हालांकि महिला के शील भंग के उद्देश्य से उसका पीछा करने, उस पर हमला करने तथा 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के लिए ऐसे कृत्यों के अपराधियों को और कठोर सजा दिया जाना आवश्यक है। अतः 12 वर्ष तक की बालिकाओं के बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के संबंध में संशोधन प्रस्तावित है, जिसके लिए मृत्यु दण्ड या कम से कम 14 साल का कठोर कारावास, जिसे आजीवन अर्थात् व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, शील भंग के उद्देश्य से किए गए हमले के लिए कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा प्रस्तावित है। इसी प्रकार, दूसरी बार अपराध किए जाने की स्थिति में, पीछा करने के लिए भी सजा का प्रस्ताव किया गया है जो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की होगी। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 10 मार्च, 2018.

आर.के. नांदल,
सचिव।